न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 185/2022 निर्णय दिनांक 10.10.2022

नारायण सिंह पुत्र अर्जुनराम जाति नाई निवासी हथाणा तहसील श्री डूंगरगढ जिला बीकानेर हाल भादरा जिला हनुमानगढ राज.

प्रार्थी

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्री डूंगरगढ

अप्रार्थी

उपस्थितिः—

1. श्री पूनचन्द मारू अभिभाषक प्रार्थी
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नंबर 129 तादादी 5.0300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 22 तादादी 11.3500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 29 तादादी 3.49 हैक्टेयर, खसरा नंबर 95 तादादी 3.68 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल तादादी 23.5500 हैक्टेयर रोही हथाणा पटवार हल्का धर्मास तहसील श्री डूंगरगढ में स्थित है जिसमें प्रार्थी की 1/4 हिस्सा की खातेदारी है। प्रार्थी का नाम नारायण सिंह पुत्र अर्जुन राम नाई है। प्रार्थी बचपन से ही अपने बडे भाई के साथ भादरा जिला हनुमानगढ चला गया और वहीं पर बस गया। समय—समय पर प्रार्थी गांव आता—जाता रहता है। गांव में प्रार्थी को नारायणराम के नाम से जाना जाता है। प्रार्थी के पिता का नाम अर्जुनराम है। गांव में प्रार्थी के पिता को उजीणाराम के नाम से जाना जाता है। प्रार्थी का सही नाम नारायण सिंह पुत्र अर्जुनराम है। गांव में प्रार्थी को बोलता नाम नारायणराम व प्रार्थी के पिता का नाम उजीणाराम बोलता नाम है। इसलिए जब प्रार्थी के पिता की मृत्यु के बाद प्रार्थी व उसके भाइयों के नाम विरासतन इन्तकाल दर्ज हुआ तो प्रार्थी के पिता का नाम अर्जुनराम की जगह उजीणाराम व प्रार्थी का नाम नारायण सिंह पुत्र अर्जुनराम की जगह नारायणराम पुत्र उजीणाराम दर्ज हो गया। नारायण सिंह पुत्र अर्जुन राम व नारायणराम पुत्र उजीणाराम दोनों नाम ही प्रार्थी के ही है। प्रार्थी के आधारा कार्ड, पेन कार्ड, मतदाता पहचान कार्ड सहित खातेदारी के अलावा समस्त दस्तावेज में प्रार्थी का नाम नारायण सिंह पुत्र अर्जुन राम जाति नाई दर्ज है। उक्त खेतों की जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम नारायणराम पुत्र उजीणाराम दर्ज है। आधार कार्ड, पेन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र से भिन्न नाम प्रार्थी का उक्त खेतों की जमाबन्दी में दर्ज होने से प्रार्थी को काफी परेशानी हो रही है। प्रार्थी को किसी भी बैंक व ऋण देने वाली वित्तीय संस्था से वित्तीय सुविधा नहीं मिल पा रही है। ना ही प्रार्थी को कृषकों के लिए भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा किसी वित्तीय योजना या अन्य योजना का लाभ मिल पा रहा है। नारायण सिंह पुत्र अर्जुन राम व नारायणराम पुत्र उजीणाराम दोनों नाम ही प्रार्थी के ही है। प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम नारायणराम उजीणाराम को दुरूस्त करवाकर नारायण सिंह पुत्र अर्जुन राम दर्ज करवाना चाहता है। जिसके लिए यह प्रार्थना—प्रस्तुत कर रहा है। प्रार्थी ने अप्रार्थी से नाम दुरूस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में नारायणराम पुत्र उजीणाराम की जगह नारायण सिंह पुत्र अर्जुनराम दर्ज करने हेतु कहा तो अप्रार्थी दिनांक 20.08.2022 को ऐसा करने से इन्कार कर दिया और न्यायालय से आदेश लाने हेतु कहा।

अतः प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि खेत खसरा नंबर 129, 22, 29, 95 रोही हथाणा तहसील श्री डूंगरगढ [illegible] खातेदारी में प्रार्थी का नाम नारायणराम पुत्र उजीणाराम की जगह नारायण [illegible] पुत्र अर्जुनराम करने का आदेश अप्रार्थी को दिया जाकर [illegible] दुरूस्त करने का आदेश अप्रार्थी को प्रदान करने की कृपा [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.10.21 16:10:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पैरोकारराज ने जवाब पेश किया। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में स्टेट को प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नंबर 129, 22, 29, 95 रोही हथाणा पटवार हल्का धर्मासर तहसील श्री डूंगरगढ़ की खातेदारी में प्रार्थी का नाम नारायणराम पुत्र उजीणाराम के स्थान पर नारायण सिंह पुत्र अर्जुनराम करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 10.10.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ(बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.10.21 16:10:05 IST
Reason: SelfAttested